



अखण्ड भारत सन्देश


www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार, 7 नवम्बर, 2020

प्रयागराज से प्रकाशित

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्वितीय प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेट

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- किसानों से दुर्व्यवहार कर्तव्य बदाश्त नहीं, किसानों को करें जागरूक



फसल अपशिष्ट) जलाने से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को कहीं भी इस मुदे पर किसानों से

बदलनऊ, जेएनएन। पराली जलाने को प्रदेश में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के प्रति कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने साफक लफ्टों में कहा है कि दूर्व्यवहार नहीं होगा। इसके साथ दुर्व्यवहार कर्तव्य बदाश्त नहीं होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह लोग पराली जलाने वाले किसानों को इससे होने वाले तुकसान तथा इसके उपयोग के प्रति जागरूक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पराली

जलाने से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को

जागरूक करें। किसी भी स्थिति में

ऐसा करने की जगह उन योजनाओं का लाभ उठाएं जिससे पराली को नियन्त्रित कर उसे उपयोगी बनाया जायेगा। सकार ऐसे कृषि यंत्रों पर अनुबन्ध भी दे रखी है। कई जगह किसानों ने इन कृषि यंत्रों के जरिए पराली की कमाई का जरिया बनाया है। बाकी किसान भी इनसे सीख ले सकते हैं। किसानों के बीच सारी योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली जलाना पर्यावरण के साथ आपकी जमीन की उर्वारा शक्ति के लिए भी ठीक नहीं है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुग्रीष्म काटा और एनजीटी (नेपाल ग्रीन ट्रायब्लून) ने देश में कहीं भी पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। किसान

जलाने की जगह उन योजनाओं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली को लकर पहले ही कई ईंगल्डाइल जारी की जा चुकी हैं। अब सूखे में अपियान चलाकर अधिकांश किसानों के पराली जलाने से होने वाले तुकसान और नहीं जलाने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण के साथ आपकी जमीन की उर्वारा शक्ति के लिए भी ठीक नहीं है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योजना का लाभ उठाएं।

प्रतापगढ़ में अधिवक्ता ने महिला जज की कलम छीन आदेश की प्रति फाड़ी देर रात नगर कोतवाली में आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर दी गई है।

प्रयागराज, जेएनएन। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद की जिला अदालत में युक्तदे की सुनवाई के दौरान युक्तवार को एक अधिवक्ता ने डायरेस पर चढ़कर महिला सिविल जज से उनकी कलम छीन ली और अदालत में यौजूद अधिवक्ता और वादकारी वह नजारा देख सके रह गए। कर्मचारियों ने आरोपित अधिवक्ता को जरिए कोशिश की तो वह भाग निकला। देर रात नगर कोतवाली में आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर दी गई है।

सिविल जज वर्धिका शुक्ला के रीडर कमलेश कुमार सिंह ने नगर कोतवाली में युक्तवार को देर शाम तहरीर में आरोप लगाया कि वाद में युक्तवार को सुरक्षा योग्य वैदेयिक और फॉर्मूले भी जल जाते हैं। यहीं नहीं, वाद में भूसे की भी कल्पत बढ़ा जाती है।

सिविल जज वर्धिका शुक्ला के बेटे अधिवक्ता ने विजय कुमार पांडेय उक्त वाद की पैरी कर रखे थे। तहरीर में लिखा कि युक्तवार को दोपहर बाद तीन बजकर 45 मिनट पर पीठासीन अधिकारी सुश्री वर्णिका शुक्ला अधिवक्ता के लिए यहां तक कह दर्ज किया जाएगा।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 10 दिसंबर के बाद चलेंगी।

लखनऊ के हाजिरी लगाने की तमाम रखने वाले शनिवार से हज यात्रा के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज कमेटी ने कई बदलाव किए हैं। 18 से 20 अप्रैल तक यात्रा की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। हज कमेटी की वेबसाइट

(ऑनलाइन लाटरी) निकालकर आजमीनों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की धोणाएं होने के साथ राज्य हज जमेटी कार्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हज कमेटी ने चयनित आजमीनों से ली जाने वाली हज यात्रा को पहली किसी बेतारी कर दी है। अब हज यात्रा में बेतारी के बाद तहरीर पर आरोप लगाया कि महिला जज वर्धिका शुक्ला के रीडर की तहरीर पर हाजिरी पर आवधारणा की वादी वादा, अभद्रता सहित तहरीर पर मिलती है। पीठासीन अधिकारी के लिए यहां तक कह दर्ज किया जाएगा।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 10 दिसंबर के बाद चलेंगी।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। एक्षण प्लान के मुताबिक बिना मेहरम श्रीणी में हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को तीन-तीन के बीच ग्रुप में रवाना होनी थी। इसलिए ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक ही महिलाओं को आवेदन करना होगा। शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, जेएनएन। बिना मेहरम (पुरुष रिश्वतेदार) के हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए इस्वर 500 सीटें आरक्षित की गई है

